

न्यायालय:- श्री आलोक कुमार चतुर्वेदी अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी,
बगहा, प0 चम्पारण।

परिवाद पत्र संख्या – 264 / 2007

विचारण वाद संख्या- 149 / 2026

नरेश राय बनाम् विनय कमकर व अन्य
आदेश

18.07.2026

पुकार की गई। अभियुक्तगण 1. कुसमी देवी 2. विजयी कमकर 3. विक्रम खरवार अनुपस्थित। अभियुक्तगण 1. कुसमी देवी 2. विजयी कमकर 3. विक्रम खरवार की न्यायालय के समक्ष उपस्थित सुनिश्चित कराने हेतु न्यायालय द्वारा समय-समय पर समन, जमानतीय अधिपत्र, गैर जमानतीय अधिपत्र, धारा 82 एवं 83 दं0 प्र0 सं0 जारी की गई परन्तु अभियुक्त न तो न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किये न ही संबंधित पुलिस पदाधिकारियों द्वारा कर न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया गया। पत्रावली वर्ष 2007 की है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियुक्त की शीघ्र न्यायालय में उपस्थित होने की संभावना नहीं है।

अतः अभियुक्तगण 1. कुसमी देवी 2. विजयी कमकर 3. विक्रम खरवार को फरार घोषित किया जाता है। कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त का नाम फरारी पंजी में दर्ज करें तथा अभियुक्त के विरुद्ध स्थायी वारंट जारी करें। कार्यालय लिपिक अभिलेख को जमा कराने हेतु विधि अनुसार कार्यवाही करें।

लेखापित

अलोक कुमार चतुर्वेदी
अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी
बगहा, प0 चम्पारण।